(166)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R 469-I-17

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2016–17

पुनरीक्षणकर्तागण/ आवेदकगण	:	1. विजय पिता भैयालाल, जाति माना 2. संजय पिता भैयालाल, जाति माना दोनों निवासी–कुर्सी टोला, तह. लांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.), हाल निवासी–टाटीबंध, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
		विरूद्ध
गैरपुनरीक्षणकर्ता/ अनावेदक	:	म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट (म.प्र.)

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर बालाघाट द्वारा प्रकरण कमांक 35/अ–21/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2013 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधार पर प्रस्तुत करता है:–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, आवेदकगण कुर्सी टोला, तह. लांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) के स्थाई निवासी है ।

2. यह कि, वर्तमान आवेदकगणों द्वारा एक आवेदन म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 165 (6) के तहत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा लांजी, प.ह.नं. 19, तहसील लांजी जिला बालाघाट की भूमि ख.नं.

FOR THE HIGH COURT ★ JABALPUR ★ COMMISSION
Smt. Manju Singh Parmar

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 469–एक/17 जिला – बालाघाट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आवेदकों द्वारा कलेक्टर, जिला बालाघाट के प्रकरण कमांक 35/अ–212012–13 में पारित आदेश दिनांक 4–1 –13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । जहां तक विलंब क्षमा किए जाने का प्रश्न है आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताए गए कारण तथा प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए विलंब क्षमा किए जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है अतः विलंब क्षमा किया जाता है । 3/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है यह प्रकरण भूमि विकय की अनुमति दिए जाने के संबंध में है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मौजा लांजी प.ह.नं. 19 तहसील लांजी जिला बालाघाट की भूमि खसरा नं. 693/1ग एवं 694/1ड़ रकबा कमशः 0.395 एवं 0.405 के विकय हेतु आवेदन दिया गया । कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया है कि विकय हेतु आवेदित भूमि शासन से वंटित भूमि अहस्तांतरणीय होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है । कलेक्टर का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि आवेदकगण मूल पट्टाधारी नहीं हैं बल्कि आवेदित भूमि वर्ष 1975–76 में दयालसिंह वल्द सावत एवं उदेसिंह वल्द शिवराम जाति गोंड को आवंटित	

R-469. I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की गई थी, जिन्हें विधि के प्रभाव से भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके थे । संहिता की धारा 158 (3) के प्रावधानों के अनुसार पट्टे या आवंटन में प्राप्त भूमि को पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर अंतरित न किए जाने का प्रावधान है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा मूल पट्टेदार दयालसिंह एवं उदय सिंह से रजिस्टर्ड विकयपत्र द्वारा वर्ष 1990 में विकय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमि को कय किया गया था और उनके द्वारा भी 25 वर्ष से अधिक समय उपरांत भूमि के विकय की अनुमति चाही गई है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि आवेदकों के नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित है । ऐसी स्थिति में जिलाध्यक्ष को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निराकरण गुणदोष पर करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है । जिलाध्यक्ष के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा तहसीलदार द्वारा जांच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया गया है क्योंकि भूमिस्वामी को परिस्थितियों के अनुसार भूमि विकय की अनुमति दिए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता । विकय की अनुमति के प्रकरणों में मुख्य रूप से यह देखना होता है कि विकेता को भूमि का वास्तविक मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं तथा उसके साथ कोई छलकपट तो नहीं हो रहा है । इस प्रकरण में तहसीलदार ने जांच उपरांत जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का विकय किसी दबाव वश या प्रलोभन वश नहीं किया जा रहा है । अतः प्रकरण के तथ्यों के देखते हुए आवेदकों को भूमि के विकय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 469–एक/17 जिला – बालाघाट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, बालाघाट द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–1–13 निरस्त किया जाता है एवं आवेदकगण को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की मौजा लांजी प.ह.नं. 19 तहसील लांजी जिला बालाघाट की भूमि खसरा नं. 693/1ग एवं 694/1ड़ रकबा कमशः 0.395 एवं 0.405 के विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :– 1– प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	